

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

परशुराम धानका

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

29 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022

09.05.2022

01.06.2022

डॉ. मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

.....आवेदक

बनाम

श्री मुरलीधर सबनानी पुत्र श्री जीवत राम एफ.बी.ओ. मैसर्स मुरलीधर एण्ड सन्स सब्जी मण्डी  
बिलाला मार्केट के पास निवाई जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 18 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला  
टोंक

.....अप्रार्थी

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011**

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार उपस्थित।

2—अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

:-निर्णय:-


दिनांक 01.06.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.01.2022 को समय 11:39 ए.एम. पर मैसर्स मुरलीधर एण्ड सन्स सब्जी मण्डी बिलाला मार्केट के पास निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ श्री मुरलीधर सबनानी पुत्र श्री जीवत राम मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मुरलीधर सबनानी ने स्वयं को मैसर्स मुरलीधर एण्ड सन्स सब्जी मण्डी बिलाला मार्केट के पास निवाई जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में तेल, घी, मसाले, नमकीन आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **ड्राई फ्रूट्स पिस्ता नीर प्रीमियम ब्राण्ड (Dry Fruits Pista Pistchio Neer Premium Brand)** दुकान की रैक में 250-250 ग्राम के 31 नग पॉली पैक रखे हुये थे, जिसे देखने पर मिलावट की शंका हाने पर विक्रेता श्री मुरलीधर सबनानी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री मुरलीधर सबनानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **ड्राई फ्रूट्स पिस्ता नीर प्रीमियम ब्राण्ड (Dry Fruits Pista Pistchio Neer Premium Brand)** वास्ते नमूना जांच कय किए जा रहे है, 250-250 ग्राम के नग पॉली पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।



1742

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक


आवेदक ने खरीदशुदा ड्राई फ्रूट्स पिस्ता नीर प्रीमियम ब्राण्ड (Dry Fruits Pista Pistchio Neer Premium Brand) को 250-250 ग्राम को बराबर-बराबर एक नग को ज्यों का त्यों कागज के गत्ते के चार डिब्बों में भरकर, डिब्बों के ढक्कन को अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3052 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई-3052 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

श्री मुरलीधर सबनानी पुत्र श्री जीवत राम एफ.बी.ओ. मैसर्स मुरलीधर एण्ड सन्स सब्जी मण्डी बिलाला मार्केट के पास निवाई जिला टोंक ने मौके पर उक्त खाद्य पदार्थ का बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/704 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/593/एक्ट/2022/632 दिनांक 02.03.2022 के अनुसार विक्रेता श्री मुरलीधर सबनानी से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया ड्राई फ्रूट्स पिस्ता नीर प्रीमियम ब्राण्ड (Dry Fruits Pista Pistchio Neer Premium Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप (Mis-Branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी ने मिथ्याछाप (Mis-Branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का ड्राई फ्रूट्स पिस्ता नीर प्रीमियम ब्राण्ड (Dry Fruits Pista Pistchio Neer Premium Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित हुए एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस ड्राई फ्रूट्स पिस्ता नीर प्रीमियम ब्राण्ड (Dry Fruits Pista Pistchio Neer Premium Brand) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।



हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया ड्राई फ्रूट्स पिस्ता नीर प्रीमियम ब्राण्ड (Dry Fruits Pista Pistchio Neer Premium Brand) नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री मुरलीधर सबनानी पुत्र श्री जीवत राम पर शास्ति रूपये 25,000 /- (अक्षरे पच्चीस हजार रू०) आरोपित जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.06.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(परशुराम धानका)  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज०